दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05/02/2019 का कार्यवृत्त

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
8	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
9	प्रो0 श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी	आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग	सदस्य
10	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, भगवान महावीर पी0जी0कालेज ,पा0न0फा0 कुशी0	सदस्य
11	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	को0आप्टेड सदस्य
12	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	को0आप्टेड सदस्य
13	प्रो0 रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
14	श्री सुरेश चन्द शर्मा	कुलसचिव	विशेष आमंत्रित सदस्य
15	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यसूची–

1. विधि भाग–तीन पंचम सेमेस्टर वर्ष–2018 (भूतपूर्व/बैकपेपर/अंकसुधार) के अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा वर्ष–2019 के पंचम सेमेस्टर के साथ सम्पन्न हुई, उक्त परीक्षा में जिन छात्रों का बैक लगा है, उनके द्वारा पंचम सेमेस्टर वर्ष–2019 (भूतपूर्व/बैकपेपर/अंकसुधार) की स्पेशल परीक्षा कराने की मांग किया गया है।

   चूँकि पंचम सेमेस्टर वर्ष–2019 के साथ ही षष्टम सेमेस्टर वर्ष–2018 की भी परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है और परीक्षाफल घोषित है। जिन छात्रों का पंचम सेमेस्टर वर्ष–2018 में बैक लगा है उन्हें एक वर्ष का इन्तजार करना पड़ेगा।

   अतः विधि भाग तीन षष्टम सेमेस्टर वर्ष–2019 की परीक्षा के पूर्व पंचम सेमेस्टर वर्ष–2019 भूतपूर्व/बैकपेपर/अंकसुधार की स्पेशल परीक्षा कराने के सम्बन्ध में विधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने इस प्रकरण को परीक्षा समिति को संदर्भित किया है। तदक्रम में उक्त छात्रों का आनलाईन आनलाईन परीक्षाफार्म भराने हेतु एवं विधि भाग तीन षष्टम सेमेस्टर वर्ष–2019 की परीक्षा से पूर्व उक्त छात्रों हेतु पंचम सेमेस्टर स्पेशल परीक्षा कराने के पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विभागाध्यक्ष, विधि विभाग की अनुमति के क्रम में विधि भाग तीन षष्टम सेमेस्टर वर्ष–2019 की परीक्षा के पूर्व पंचम सेमेस्टर वर्ष–2019 भूतपूर्व/बैकपेपर/अंकसुधार की स्पेशल परीक्षा करा ली जाय।

2. दिनांक 02/02/2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी की (उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव व अपर सचिव उच्च शिक्षा की उपस्थिति में) समस्त विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई विडियो कान्फ्रेंसिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त रूप से आदेशित किया है कि "किसी भी दशा में नकल में डिबार महाविद्यालयों को वर्ष–2019 की वार्षिक परीक्षा में किसी भी रूप में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय" तदक्रम में विचार।

निर्णय–समिति ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश/निर्देश के क्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि–

I. **वार्षिक परीक्षा वर्ष–2018 की परीक्षा में किसी भी दशा में नकल में डिबार महाविद्यालयों को वर्ष–2019 की वार्षिक परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जायेगा।**

II. **साथ ही वर्ष–2018 की वार्षिक परीक्षा में बी0ए0/बी0एस–सी0 भाग एक के गणित विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर आउट होने के प्रकरण में विश्वविद्यालय स्तर पर समग्र तथ्यान्वेषण हेतु गठित जांच समिति के अध्यक्ष (प्रो0 एस0के0 दीक्षित) ने अवगत कराया है कि प्रथम दृष्टया बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर के केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष संदेह के दायरे में हैं व अभी एस0टी0एफ0 की जांच प्रचलित है।**

   अतः इस प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त समिति ने वार्षिक परीक्षा–2019 हेतु बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर को परीक्षा केन्द्र बनाए रखने का निर्णय लिया। लेकिन–

   (क) वार्षिक परीक्षा वर्ष–2018 के केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष, इस वर्ष–2019 की परीक्षा से विरत रहेंगे।

   (ख) इस केन्द्र पर महाविद्यालय अपने किसी अन्य प्राध्यापक को इस परीक्षा हेतु केन्द्राध्यक्ष के रूप में सेवा लेने हेतु नामित/प्रस्तावित करें।

   (ग) इस महाविद्यालय की परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्तर से दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जायेंगे।

   इस प्रकरण में बिन्दु संख्या–2. II.(क) पर डॉ0 एस0एन0 शर्मा को–आप्टेड सदस्य ने अपनी असहमति दर्ज करायी।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति